कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/2980 /2020 बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /रीडर–जि0दण्डा0/2901/2020 बिलासपुर दिनांक 20, जुलाई 2020 द्वारा नगर पालिक निगम बिलासपुर, नगर पंचायत बिल्हा तथा नगर पंचायत बोदरी के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है एवं उक्त आदेश की कण्डिका "अ" के अनुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर, नगर पंचायत बिल्हा तथा नगर पंचायत बोदरी के सीमाक्षेत्र अंतर्गत संक्रमण के बचाव तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 23/07/2020 प्रातः 05:00 बजे से 31/07/2020 सायं 04:00 बजे तक उक्त आदेश की कण्डिका "ब" में वर्णित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गयी है।

2. बिलासपुर जिले में दिनांक 27/07/2020 तक की स्थिति में 617 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। जिले में पिछले पांच दिवस के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 142 से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। दिनांक 27/07/2020 को कोरोना से संक्रमित 72 धनात्मक मरीजों की पहचान की गयी है, जो आज दिनांक तक जिले से एक दिवस में पाये गये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। स्पष्ट है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।

3. अतः उपरोक्त कण्डिकाओं में उल्लेखित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक /रीडर–जि0दण्डा0/2901/2020 बिलासपुर दिनांक 20, जुलाई 2020 की **कण्डिका "अ" एवं कण्डिका "ब" में वर्णित गतिविधियों पर लगायी गयी रोक की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 06.08.2020 रात्रि 12:00 बजे तक रोक लगायी जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।**

4. **किराने की दुकानों के माध्यम से राखी एवं त्योहार में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय किया जा सकता है।**

5. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/ रीडर–जि0दण्डा0/2901/2020 बिलासपुर दिनांक की कण्डिका "स" में वर्णित कार्यालय /प्रतिष्ठान को प्रतिबंध में शर्तो के अधीन छूट प्रदान की गयी है, कण्डिका "स" में वर्णित सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

– कण्डिका 11 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है–

दूध विक्रय हेतु सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक अतिरिक्त अनुमति होगी। इस कण्डिका के शेष अंश पूर्ववत यथावत रहेंगें।

28/7/2020

Scanned with CamScanner

– कण्डिका 23 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है–

"खाद्य, मिठाई / मिष्ठान पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कामर्स आपूर्ति " ।

6. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / रीडर–जि0दण्डा0 / 2901 / 2020 बिलासपुर दिनांक 20 जुलाई 2020 की कण्डिका "द" में वर्णित शासकीय / अशासकीय बैंकों को **दोपहर 03:00 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी।** इस कण्डिका की शेष शर्ते यथावत पालनीय रहेंगी।

7. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालयीन आदेश क्रमांक / रीडर–जि0दण्डा0 / 2901 / 2020 बिलासपुर दिनांक 20 जुलाई 2020 के अनुक्रम (Continuation) में यह आदेश जारी किया जा रहा है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

28/7/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर, (छ0ग0)
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृ0 क्रमांक / रीडर–जि0दण्डा / 2980-A / 2020 बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2020

प्रतिलिपि–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

2– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

3– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

4– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

5– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर

8– आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर / मुख्य नगर पालिका अधिकारी– न0पं0 बिल्हा, बोदरी,

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10– उप संचालक, जनसंपर्क , बिलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।

11– अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर / कोटा / मस्तुरी एवं बिल्हा,

12– तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी.................................समस्त जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13– संबंधित थाना प्रभारी ....,...जिला– बिलासपुर को पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर, (छ0ग0)
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

COLLECTOR BILASPUR (C.G.)

Scanned with CamScanner